जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/tpf/09 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 6 अगस्त 2021

विशेष रिपोर्ट-1

सीआरपीसी की धारा 107/151 और 116(3), जिनके तहत आज भी पुलिस थानो मे हो रहा सैकड़ों व्यक्तियों के मानवाधिकारों का खुलेआम हनन!!!

सीआरपीसी की ऐसी धाराएँ!! जिनमे ना सबूत और ना स्वतंत्र गवाह की जरूरत!!! पुलिस कर्मियों की गवाही पर सीधे हवालात!!!!

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला, जिसने पुलिस-प्रशासन के दमन चक्र की पोल खोल कर रख दी!!!

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जनजीवन पर खतरे की आशंका से ही हो एहतियातन गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट ने रद किया तेलंगाना सरकार का आदेश

किसी व्यक्ति की सुरक्षात्मक उपायों के तहत (एहतियातन) गिरफ्तारी तभी की जाए जब उसकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ रही हो या बिगड़ने की आशंका हो। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के आदेश को खारिज करते हुए कही है।

नई दिल्ली, पीटीआइ। किसी व्यक्ति की सुरक्षात्मक उपायों के तहत (एहतियातन) गिरफ्तारी तभी की जाए जब उसकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ रही हो या बिगड़ने की आशंका हो। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के आदेश को खारिज करते हुए कही है। तेलंगाना सरकार ने पिछले दिनों एक ऐसे व्यक्ति की सुरक्षात्मक उपायों के तहत गिरफ्तारी का आदेश दिया था जिस पर धोखाधड़ी और जालसाजी के कई आपराधिक मामले चल रहे हैं।

उसकी गिरफ्तारी के लिए जारी आदेश में लिखा था कि उसकी वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका है। उसकी वजह से समाज पर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ने का खतरा है। अपने खिलाफ दर्ज पांच एफआइआर में अग्रिम जमानत और जमानत लेने में सफल रहने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रदेश सरकार ने तेलंगाना प्रिवेंशन आफ डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट (टीपीडीएए) के तहत गिरफ्तारी का आदेश जारी किया था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे ही मामलों मे गिरफ्तारी करने पर तेलंगाना सरकार को आड़े हाथो लिया है|

क्या होती है सीआरपीसी धारा 151/107,116(3)

धारा 107 के अनुसार जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक्जेक्यूटिव मजिस्ट्रेट) को सूचना मिले कि सम्भाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशान्ति भंग करेगा या लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा संदोष कार्य करेगा, जिससे सम्भवत: परिशान्ति भंग हो जाएगी या लोकप्रशान्ति विक्षुब्ध हो जाएगी, तब वह (ऐसा मजिस्ट्रेट) यदि उसकी राय में कार्यवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हो तो वह ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबन्धित रीति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह कारण दर्शित करें कि एक वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए, जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे, परिशान्ति कायम रखने के लिए उसे (प्रतिभुओं सहित या रहित) बन्धपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाय। धारा 107/116 की कार्यवाई में नोटिस सुनाये जाने के उपरान्त समय रीति से 116 धारा के अन्तर्गत आगे सुनवाई होती है। यदि पक्षकार इस बीच शान्तिभंग करते है तो फिर मजिस्ट्रेट 116(3) बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश पारित कर जमानत दाखिल करने का आदेश कर सकता है। अत यह कार्यवाई दण्डात्मक न होकर निरोधात्मक होती है। जिसमें कोई कैद की सजा नहीं होती। जहां तक इस कार्यवाई में धारा 151 के प्रयोग का प्रश्न है, वह अध्याय 11 में "पुलिस की निवारक शक्ति है, जिसमें संज्ञेय अपराधों के किये जाने से रोकने हेतु गिरफ्तार कर अपराध की गम्भीरता को रोकती है और पक्षों को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करती है। 151 में गिरफ्तार के बाद पक्षों पर तत्क्षण 116 (3) में कार्यवाई का औचित्य नही होता, क्योंकि गिरफ्तार की हालत में फिर तुरन्त उपाय की कोई स्थिति नही रह जाती। यही है 107/116, 151 धारा। इस धारा का सावधानीपूर्वक प्रयोग बहुत आवश्यक है। केवल दो पक्षों को न्यायालय भेजने से ही काम चलने वाला नही है। पुलिस ऐसा करके अपनी जिम्मेदारी से भी नही बच सकती है। क्योंकि बाद में कई परिवार इसी से बढ़ी वैमनस्यता के कारण एक दूसरे के खून के प्यासे होकर उजड़ते देखे गए हैं।

सीआरपीसी धारा 151/107,116(3) के बेजा इस्तेमाल की कुछ अनकही कहानियाँ|

केस-1;जयपुर कमिश्नरेट के एक थानाअंतरगर्त रहने वाले और अँग्रेजी शराब की दुकान चलाने वाले महेंद्र सिंह(परिवर्तित नाम)के मकान पर कब्जा करने की नियत से 30-40 व्यक्तियों द्वारा लाठी,सरियो से धावा बोला गया|अचानक हुए इस हमले की तत्काल 100 नंबर पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गयी चूंकि हमला स्थानीय पुलिस से साँठ गांठ कर किया गया था अतः थाने की चेतक देरी से आयी और जब आई तो हमलावरों को पकड़ने की जगह उल्टा महेंद्र सिंह को ही पकड़ कर ले गयी और धारा 151/107,116(3) मे बंद कर दिया|इस मामले मे छूटने मे उन्हे एक दिन लग गया जबतक उनके खाली प्लॉट को हमलावरो द्वारा जेसीबी चला कर तहस-नहस कर दिया गया|वो तो गनीमत रही की स्थानीय मीडिया की सजगता से हमलावर प्लॉट पर कब्जा नहीं कर पाये और स्थानीय पुलिस को अपने बचाव मे आना पड़ा|

केस-2;जयपुर कमिश्नरेट के एक थानाअंतरगर्त रहने वाले और बिल्डर का काम करने वाले नरेंद्र सिंह सिद्धू(परिवर्तित नाम) को स्थानीय पुलिस थाने के एक एएसआई ने फोन कर के थाने मे यह कह कर बुलाया कि एक प्रोपर्टी के झगड़े मे एसएचओ और एसपी साहब आपसे मिलना चाहते है,पाँच मिनिट के लिए थाने आ जाओ|एएसआई के इस विनम्र आग्रह पर बिना समय गवाएं, भलमनसाहत से नरेंद्र सिंह सिद्धू थाने पहुच कर, सीधे एसएचओ के केबिन मे गए जहां पर एसपी साहब भी बैठे हुए थे|नरेंद्र सिंह सिद्धू के केबिन मे पहुँचते ही दो तीन कॉन्स्टेबल अंदर आए और उसे बताया गया कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है|पुलिस के इस अचानक बदले हुए रवैये से नरेंद्र सिंह सिद्धू सकते मे आ गए और उनकी तबीयत खराब हो गयी जिसके चलते वह एक दिन पुलिस कस्टडी मे हॉस्पिटल मे भर्ती रहे|उन्हे जब जमानत देने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया तो न्यायिक मजिस्ट्रेट एक लाख रुपए की जमानत देने पर अड़ गया और वह भी नरेंद्र सिंह सिद्धू के निजी परिजनों की|न्यायिक मजिस्ट्रेट के इस तुगलकी आदेश को पूरा करने मे सिद्धू के परिजनों को एक दिन अतिरिक्त लगा|इस तरह सिद्धू को एक ऐसे गुनाह के लिए तीन दिन हवालात की हवा खानी पड़ी जो उसने किया ही नहीं था| *इस मामले मे प्रस्तुत इस्तगासे मे पुलिस ने बताया कि यह व्यक्ति थाने मे आया और पुलिस के विरुद्ध ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए,अनगर्ल बाते करने लगा,पुलिस द्वारा समझाईश करने पर भी नहीं माना और उत्तेजित होकर,ऐलानिया धमकी देते हुए मरने मारने पर उतारू हो गया|अगर इस शक्स को मौके पर गिरफ्तार नहीं किया जाता तो कोई संगीन जुर्म कर गुजरता|अतः धारा 151/107,116(3) के तहत कार्यवाही की जाए|*

यह मामले तो कुछ बानगीयां है जो पुलिस-प्रशासन द्वारा बेवजह सीआरपीसी धारा 151/107,116(3) के बेजा इस्तेमाल की कहानियाँ कह रहे है,ऐसी हजारो कहानियाँ हमारे पुलिस थानो की दीवारों से आज भी टकरा कर गूंज रही है,जिनमे निर्दोष लोगो को कुछ रसुखदारों के कहने पर जेल की सलाखों के पीछे पहुचा दिया जाता है जो जुर्म उनके द्वारा कभी किया ही नहीं जाता|ऐसे 90% मामलों मे ना तो कोई सबूत पेश किया जाता है और नाही कोई स्वतंत्र गवाह|महज चंद पुलिस वालो की गवाही पर स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस की बातों पर विश्वास करके तुगलकी फैसला सुना दिया जाता है|

अधिकांश मामलों मे परिवादियों/रसुखदारों को खुश करने के लिए करती है पुलिस सीआरपीसी की धाराओं 107/151 और 116(3) का दुरुपयोग

आपको बता दें कि अधिकांश मामलों मे परिवादियों/रसुखदारों को खुश करने के लिए स्थानीय पुलिस सीआरपीसी की धारा 107/151 और 116(3) का दुरुपयोग करती नजर आती है|सामान्य मामलों मे जहां एक और पुलिस शराब की दुकानों मे खुलेआम शराब पी रहे शराबियों को इन धाराओं मे पकड़ कर कुछ घंटो मे छोड़ देती है वही रसुखदारों के मामलों मे उनके विरोधियों को 2 से कई दिन तक अवैध रूप से जेल मे बंद रखा जाता है|

केंद्र सरकार द्वारा संचालित सीसीटीएनएस वेब साइट पर नहीं दर्ज होते यह मामले|

आपको बता दें कि केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) की वेबसाइट पर सीआरपीसी की धारा107/116(3),151 के तहत दर्ज दिये मामलों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है|इस कारण व्यापक तौर पर इन धाराओं के हो रहे दुरुपयोग का आंकलन भी नहीं किया जा सकता है|

राज्य मे सीआरपीसी की धाराओ107/116(3),151 मे सर्वाधिक दर्ज किए जाते है मामले|

राजस्थान पुलिस की वेब साइट पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार जहां आपराधिक मामलों जैसे हत्या,हत्या का प्रयास,लूट,डकैती,अपहरण,बलात्कार और स्थानीय और विशेष अधिनियमों जैसे एक्साइज़ एक्ट,आर्म्स एक्ट,जुआँ एक्ट आदि प्रकरणों मे दर्ज मामलों की माहवार संख्या सैंकड़ों मे होती है वहीं निरोधात्मक कार्यवाहियों जैसे सीआरपीसी की धारा107/116(3),151,पुलिस एक्ट मे दर्ज मामलों की माहवार संख्या हजारों मे होती है|

जून-2021 मे दर्ज संज्ञेय मामलों के आंकड़े

मासिक अपराध प्रतिवेदन जून – 2021

माह जून, 2021 में राज्य की अपराध स्थिति सामान्य एवं नियंत्रण में रही है। राज्य में आलोच्य माह, गत माह एवं वर्ष 2020 के माह जून की तुलना में भारतीय दण्ड संहिता (भा.द.सं.) के अन्तर्गत दर्ज अपराधों की तुलनात्मक स्थिति निम्न है:–

माहवार आपराधिक तुलनात्मक स्थिति
(माह जून 2020, मई 2021, जून 2021)

क्र. सं.	शीर्षक	दर्ज अभियोग			कमी / वृद्धि		प्रतिशत	
		जून 2020	मई 2021	जून 2021	जून 2020 से जून 2021	मई 2021 से जून 2021	जून 2020 से जून 2021	मई 2021 से जून 2021
1	हत्या	160	151	175	15	24	9.38	15.89
2	हत्या का प्रयास	214	210	201	-13	-9	-6.07	-4.29
3	डकैती	12	8	8	-4	0	-33.33	0.00
4	लूट	95	85	92	-3	7	-3.16	8.24
5	व्यपहरण / अपहरण	611	433	672	61	239	9.98	55.20
6	बलात्कार	531	390	561	30	171	5.65	43.85
7	बलवा	45	16	24	-21	8	-46.67	50.00
8	नकबजनी	449	400	604	155	204	34.52	51.00
9	चोरी	2146	1599	2612	466	1013	21.71	63.35
10	अन्य भा.द.सं.	12684	8959	12518	-166	3559	-1.31	39.73
11	**योग भा.द.सं.**	**16947**	**12251**	**17467**	**520**	**5216**	**3.07**	**42.58**

स्थानीय एवं विशेष अधिनियम

आलोच्य माह, गत माह एवं वर्ष 2020 के माह जून तक स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के तहत की गई कार्यवाही की तुलनात्मक स्थिति निम्न है :–

स्थानीय एवं विशेष अधिनियम– माहवार तुलनात्मक स्थिति
(माह जून 2020, मई 2021, जून 2021)

क्र. सं.	शीर्षक	दर्ज अभियोग			कमी / वृद्धि		प्रतिशत	
		जून 2020	मई 2021	जून 2021	जून 2020 से जून 2021	मई 2021 से जून 2021	जून 2020 से जून 2021	मई 2021 से जून 2021
1	एक्साईज एक्ट	854	1132	1662	808	530	94.61	46.82
2	जुआ अध्यादेश	928	535	1363	435	828	46.88	154.77
3	आर्म्स एक्ट	237	123	503	266	380	112.24	308.94
4	एन.डी.पी.एस. एक्ट	194	156	265	71	109	36.60	69.87
5	एक्सप्लोजिव एक्ट	18	7	48	30	41	166.67	585.71
6	ई.सी.एक्ट	13	26	27	14	1	107.69	3.85
7	अन्य एक्ट	1114	1142	1800	686	658	61.58	57.62
8	**योग**	**3358**	**3121**	**5668**	**2310**	**2547**	**68.79**	**81.61**
9	डिस्कॉम	2397	90	609	-1788	519	-74.59	576.67

जून-2021 मे विशेष अधिनियमों मे दर्ज मामलों के आंकड़े

निरोधात्मक कार्यवाही

आलोच्य माह, गत माह एवं वर्ष 2020 के माह जून में तथा वर्ष में गत वर्ष की तुलना में निरोधात्मक प्रावधानों के तहत की गई कार्रवाई की तुलनात्मक स्थिति निम्न है।

माहवार तथा वर्ष में अब तक की गई निरोधात्मक कार्यवाही की तुलनात्मक स्थिति

क्रसं	शीर्षक	माहवार कार्यवाई			वर्ष में कार्यवाई		व्यक्तियों की संख्या	व्यक्तियों का वर्ष में निस्तारण				
		जून 2020	मई 2021	जून 2021	वर्ष 2020	वर्ष 2021		पाबन्द	सजा	रिहा / बरी	ड्रॉप	पेन्डिग कोर्ट
1	107 / 116(3)द.प्र.सं.	12924	6422	14431	53976	52493	158519	141041	452	0	65	16961
2	151 द.प्र.सं.	12176	9029	14855	62171	65118	106426	102359	152	1	0	3914
3	109 द.प्र.सं.	216	98	260	1736	1958	2296	2224	0	0	0	72
4	110 द.प्र.सं.	2565	1415	4630	19483	21419	21492	18836	52	0	2	2602
5	122 द.प्र.सं.	70	27	133	526	393	526	387	2	0	0	137
6	145 द.प्र.सं.	42	31	49	112	178	922	690	18	0	0	214
7	133 द.प्र.सं.	18	19	82	466	327	501	441	1	0	0	59
8	एच.ओ. एक्ट	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9	60 पुलिस एक्ट	1529	894	3290	30590	27385	27603	15919	8935	0	0	2749
10	राजपासा	0	4	5	33	19	19	0	0	0	2	17
11	एन. एस. ए.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

जून-2021 मे निरोधात्मक कार्यवाहियों (जिनमे धारा 107/116(3) और 151 के मामले भी है)मे दर्ज मामलों के आंकड़े

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का ऐतिहासिक फैसला जिसने इन धाराओं का दुरुपयोग करने वाले पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को आईना दिखा दिया|

भरतपुर पुलिस द्वारा आंदोलन को कुचलने के लिए की गयी दमनकारी कार्यवाही|5 सरकारी डाक्टरों को घर से उठाकर ले गयी और सीआरपीसी की धारा 107/151 और 116(3) मे तीन दिन तक बंद रखा|

आपको याद होगा कि वर्ष 2017 मे सरकारी डॉक्टरों द्वारा राज्य व्यापी की गयी थी जो कई दिनो तक चली थी,डॉक्टरों की इस हड़ताल को तोड़ने के लिए भरतपुर पुलिस प्रशासन द्वारा 5 डाक्टरों को रात के 12 बजे घर से उठाकर सीआरपीसी की धारा 107/151 और 116(3) मे पुलिस लॉकअप मे बंद कर दिया|

जब इन डॉक्टरों के मामले इस्तगासे के जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(शहर)भरतपुर के समक्ष पेश किए गए तो उनके द्वारा इन सरकारी डॉक्टरों को छोड़ने के लिए 1 करोड़ की जमानत मांगी गयी|जिसे पूरा नहीं करने पर इन डॉक्टरों को न्यायिक अभिरक्षा मे भिजवा दिया गया|

राजस्थान में सरकारी चिकित्सक से मांगी एक करोड़ रुपए की जमानत

State Human Rights Commission :राज्य मानवाधिकार आयोग ने डॉक्टरों से एक करोड़ की जमानत मांगने के मामले में राज्य सरकार (Rajasthan Government) को भेजी सिफारिश। हड़ताल के दौरान हिरासत में रहे तीनों डॉक्टरों को 9 लाख रुपए हर्जाना (Compensation) दे सरकार

By: Deepshikha Vashista
Published: 03 Sep 2019, 05:33 PM IST Jaipur, Jaipur, Rajasthan, India

स्रोत:-राजस्थान पत्रिका

जयपुर। हड़ताल के दौरान 3 दिन हिरासत में रहे सरकारी चिकित्सक से एक करोड़ रुपए की जमानत मांगने को गंभीरता से लेते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से ऐसे तीनों चिकित्सकों को 9 लाख रुपए हर्जाना देने को कहा है। साथ ही, कहा है कि इस मामले में भरतपुर के तत्कालीन अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) पर विभागीय कार्रवाई की जाए।

आयोग ने आंदोलन से जुड़े मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों के कानून का दुरुपयोग करने की शिकायतों को रोकने के लिए भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन की सिफारिश की है। साथ ही, कहा कि भरतपुर के तत्कालीन एडीएम पर तत्काल विभागीय कार्रवाई की जाए, जिससे स्वयं को कानून से उपर मानने वाले अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सबक मिल सके।

आयोग अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया ने डॉक्टर हड़ताल के दौरान 15 दिसम्बर 17 को रात 11 बजे भरतपुर में डॉ. कप्तान सिंह को गिरफ्तार करने के मामले में यह आदेश दिया है। आयोग ने मामला निस्तारित करते हुए सिफारिशें सरकार को भेजी हैं। आयोग की ओर से यह भी कहा है कि हर्जाना राशि का भुगतान सरकार करे।

उल्लेखनीय है कि डॉ. कप्तान सिंह से एडीएम भरतपुर ने जमानत के लिए 20-20 लाख रुपए के पांच जमानत मुचलके और 50 हजार रुपए का निजी मुचलका मांगा था। डॉ. सिंह के साथ ही डॉ. मनीष गोयल व डॉ. मुकेश कुमार वशिष्ठ को भी हिरासत में लिया गया था।

सरकार क्यों चाहती है अंग्रेजों का कानून

आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पाबंदी के लिए आइपीसी की धारा 107, 116 (3) व 151 के दुरुपयोग को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर आयोग को जवाब मिला कि सरकार आइपीसी की धाराओं में संशोधन नहीं करेगी। आयोग ने इस पर टिप्पणी की है कि जनांदोलन कुचलने के लिए अंग्रेजों के जमाने के कानून को सरकार जारी रखना चाहती है, जबकि नागरिकों के मानव अधिकारों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है।

मानवाधिकार अदालतों में मामले नहीं भेजने पर आपत्ति

आयोग ने प्रदेश में 6 साल पहले मानवाधिकार अदालत बनाने के बावजूद उनके लिए मुकदमे चिन्हित नहीं करने पर खेद जताया है। साथ ही, कहा कि यह स्थिति राज्य सरकार ही नहीं, बल्कि केन्द्र सरकार के भी ध्यान में लानी चाहिए।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(शहर)भरतपुर के इन आदेशों को चुनोती देते हुए,जब आपराधिक निगरानी याचिका सेशन न्यायाधीश,भरतपुर के समक्ष पेश की गयी तो उन्होने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(शहर)भरतपुर के इन आदेशों को बिना जाँचे एवं बिना मस्तिस्क का प्रयोग करार देते हुए,खारिज कर दिया और एक लाख रुपए की जमानत और इसी राशि का बंधपत्र प्रस्तुत करने पर तत्काल रिहा करने के आदेश दिये|

इन डॉक्टरों मे से एक डॉक्टर श्री कप्तान सिंह द्वारा अपने इस मानवाधिकार हनन के मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया, जो हस्तांतरित होकर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया|

इस मामले मे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग मे दर्ज परिवाद संख्या 2017/06/5827 मे दिनांक 02/09/2019 को किए गए ऐतिहासिक फैसले मे न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया द्वारा डॉक्टर श्री कप्तान सिंह समेत अन्य दो डॉक्टरों के मानवाधिकार हनन का मामला सही मानते हुए राज्य सरकार को प्रत्येक डॉक्टर को 3-3 लाख का हर्जाने देने के आदेश दिये| साथ ही अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(शहर)भरतपुर और इस कार्यवाही के प्रभारी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्यवाही करने के भी आदेश पारित किए|

माननीय राज्य मानव अधिकार आयोग के फैसले की सम्पूर्ण प्रतिलिपि|

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

दिनांक 02.09.2019 परिवाद संख्या 2017/06/5827

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

पत्रावली में आज आदेश पारित किया गया।

सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में डॉक्टर्स की हडताल के समय डॉ. कप्तान सिंह पुत्र श्री हरभान सिंह जाट, निवासी काली माई की बगीची के पास, भरतपुर को दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 की रात्रि के 11.00 बजे स्थानीय पुलिस, पुलिस थाना मथुरागेट द्वारा डॉ. कप्तानसिंह के घर पर गिरफ्तार किया गया व दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 529/2017 में प्रस्तुत किया गया। डॉ. कप्तानसिंह के विरूद्ध अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया इस्तगासा महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अतः सम्पूर्ण इस्तगासा इस आदेश में उल्लेखित किया जा रहा है :-

"कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना मथुरा गेट, जिला भरतपुर

क्रमांक 14379 दिनांक 16.12.17

श्रीमान एसडीएम साहब
जिला भरतपुर।

विषय :– इस्तगासा अंतर्गत धारा 107,116(3),151 सीआरपीसी

सरकार बनाम

1. डॉक्टर कप्तान सिंह पुत्र हरभानसिंह जाति जाट उम्र 37 साल निवासी काली माई बगीची के पास थाना अटल बंद भरतपुर।

महोदय,

वाक्यात इस्तगासा हाजा इस प्रकार से है कि आज दिनांक 16.12.17 को समय 12.47 एएम पर मन थानाधिकारी उद्योग नगर भरतपुर वीरेंद्र शर्मा मय जाप्ता हैड कानि. भल्लो सिंह 752, कानि. भगत सिंह 1393, कानि. बच्चू सिंह 1760 मय गिरफ्तार शुदा गैरसायल डॉ. कप्तान सिंह पुत्र श्री हरभानसिंह उम्र 37 साल जाति जाट निवासी काली माई की बगीची के पास भरतपुर के थाना मथुरा गेट भरतपुर पर उपस्थित आया हालात इस प्रकार रहे कि उच्चाधिकारियों के निर्देश अनुसार राजकीय चिकित्सकों की संभावित हड़ताल के मद्देनजर शहर भरतपुर में गश्त व कानून व्यवस्था ड्यूटी एवं चिकित्सकों की संभावित हड़ताल के बारे में जानकारी व सुचारू चिकित्सा व्यवस्था बाबत समझाईस बाबत गश्त के दौरान गोपनीय सूचना मिली कि डॉ. कप्तान सिंह काली माई बगीची के पास रहता है जो चिकित्सकों की हड़ताल के संबंध में अपने निवास पर योजना बना रहे हैं एवं राजकीय चिकित्सा व्यवस्था को ठप्प करने की किसी से बातें कर रहे हैं चूंकि पूर्व में भी राजकीय चिकित्सकों द्वारा की गई हड़ताल के कारण आमजन एवं मरीजों के जीवन को गंभीर संकट उत्पन्न हो चुका है एवं हाल ही में डॉक्टर्स की हड़ताल के दौरान भी चिकित्सा व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रशासकीय दृष्टिकोण से चिकित्सकों के किए गए स्थानांतरण को भी चिकित्सकों द्वारा बेवजह मुद्दा बनाया जा कर हड़ताल की योजना बनाई जा रही है ऐसे निर्णय से राजकीय चिकित्सा व्यवस्था ठप होने से एवं मरीजों को दुष्परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। अतः समझाइश करना उचित एवं आवश्यक समझते हुए थानाधिकारी उद्योग नगर मय हमराही जाप्ता के समय 10–30 पीएम पर चिकित्सक के निवास पर पहुंचा तो डॉक्टर कप्तान सिंह मोबाइल पर जोर-जोर से बातें करते दिखाई दिया जो मोबाइल पर हड़ताल के संबंध में जोर-जोर से बातें कर रहे थे जिनको थानाधिकारी उद्योग नगर मय हमराही जाप्ता द्वारा समझाइश की गई कि इस तरह के कार्य व्यवहार से

आमजन व मरीजों के जीवन गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है आप इस तरह हड़ताल कर चिकित्सा व्यवस्था ठप्प करने की योजना नहीं बनाए ना ही इससे सम्मिलित होवे ना ही ऐसी किसी भी कार्य के लिए किसी अन्य चिकित्सक को दूष्प्रेरित करें तो चिकित्सक कप्तान सिंह द्वारा बार-बार इसी बात को दोहराते रहे कि हमने जो ठान लिया है उसको करके ही रहेंगे एवं सारी व्यवस्था ठप्प करेंगे और हम तो अभी और दो-चार डॉक्टरों को एकत्रित कर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को ठप्प कर देंगे बावजूद समझाइश डॉक्टर कप्तान सिंह द्वारा लगातार यही धमकी दी जाने पर चिकित्सक का यह कृत्य अंतर्गत धारा 151 जा. फौ. की तारीफ में आना पाए जाने पर डॉक्टर कप्तान सिंह पुत्र श्री हरभान सिंह उम्र 37 साल जाति जाट निवासी काली माई की बगीची के पास भरतपुर को ह्रस्व कायदा अदम अदखाल गिरफ्तार किया गया तथा गैर सायल डॉ. कप्तान सिंह से फर्द पर हस्ताक्षर करने हेतु कहा गया तो हस्ताक्षर करने से मना किया एवं हस्ताक्षर नहीं किए तत्पश्चात मौके से रवाना होकर गस्त करता हुआ हमराह लेकर उपस्थित आया अगर गैर सायल को मौके पर गिरफ्तार नहीं किया जाता तो अवश्य ही कोई संगीन घटना को अंजाम देते। जिसका निवारण करने के लिए मौके पर कार्यवाही आवश्यक हो गई थी। अतः गैर सायल उपरोक्त के विरुद्ध इस्तगासा अंतर्गत धारा 107-151 सीआरपीसी में वास्ते सलूक पेश कर निवेदन है कि गैर सायलान को भारी से भारी जमानत मुचलकों से पाबंद फरमाने की कृपा करें जिससे इलाका थाना में शांति रह सके।

सूची गवाहान

1. श्री भल्लो सिंह हैड कानि. 752 थाना उद्योग नगर भरतपुरः-फर्दात
2. श्री भरत सिंह कानि. नंबर 1393 थाना उद्योग नगर भरतपुरः-फर्दात
3. श्री वीरेंद्र शर्मा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना उद्योग नगर भरतपुर :- फर्दात
4. राजेश कुमार पाठक थाना मथुरा गेट :- हालात इस्तगासा

तफसील कागजात

असल इस्तगासा -1, फर्द गिरफ्तारी गैर सायल -1, नकल रपट रोजनामचा आम -1"

उपर्युक्त इस्तगासा के साथ सूची गवाह में चार पुलिसकर्मियों के नाम दिये गये थे। जिनमें से तीन पुलिसकर्मी पुलिस थाना उद्योगनगर पर पदस्थापित थे व चौथे गवाह के क्रम पर "राजेश कुमार पाठ्क थाना मथुरागेट" अंकित है। तफसील कागजात में असल इस्तगासा के साथ फर्द गिरफ्तारी व नकल रपट रोजनामचा आम की प्रतिलिपियां भी संलग्न की गई है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) भरतपुर द्वारा उसी दिन आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 से डॉ. कप्तान सिंह को कुल 07 जमानती पेश किये जाने, जिनमें से 02 राजकीय कर्मचारियों द्वारा 50,000 की जमानत प्रस्तुत करने व डॉ. कप्तानसिंह द्वारा स्वयं का 50,000 रूपये का मुचलका पेश किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 में यह भी निर्देशित किया गया कि 05 जमानती 20-20 लाख की 05 जमानत प्रस्तुत करेंगे। यह भी आदेशित किया गया कि प्रत्येक जमानती द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के साथ डी.एल.सी. दर की प्रति के साथ सम्पत्ति का मूल्यांकन सब रजिस्ट्रार से प्रमाणित करवाया जाकर प्रस्तुत करना होगा। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इस आदेश के लगातार में ही कम्प्युटर प्रिंटेड आदेश में यह भी अंकित किया गया है कि, **"डॉ. कप्तान सिंह द्वारा उपरोक्तानुसार जमानत प्रस्तुत नहीं करने पर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने का निर्णय किया जाता है।"**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) भरतपुर का आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अतः इस आदेश को भी आयोग के आदेश में यथावत उल्लेखित किया जाना आवश्यक है। आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 निम्न प्रकार से है :-

तारीख हुक्म	फर्द अहकाम अज अदालत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) मुकाम भरतपुर सरकार बनाम डॉ. कप्तान सिंह किस्म मुकद्मा 107, 116 (3), 151 दं.प्र.सं. नं. 529 सन् 2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
16.12.17	आज दिनांक 16.12.2017 को थाना अधिकारी, थाना मथुरा गेट, जिला भरतपुर द्वारा एक इस्तगासा अंतर्गत धारा 107, 116 (3), 151 सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया। इस्तगासे में अंकित तथ्यों के अनुसार निवेदन किया गया है कि दिनांक 16.12.2017 को गोपनीय सूचना मिली की डॉक्टर कप्तान सिंह काली माई बगीची के पास रहता है, जो चिकित्सकों की हड़ताल के संबंध में अपने निवास पर योजना बना रहे हैं एवं राजकीय चिकित्सा व्यवस्था को ठप करने की किसी से बातें कर रहे हैं क्योंकि पूर्व में भी राजकीय ऐसे निर्णय से राजकीय चिकित्सा व्यवस्था ठप होने एवं मरीजों को दुष्परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं चिकित्सकों द्वारा की गई हड़ताल के कारण आमजन एवं मरीजों के जीवन को गंभीर संकट उत्पन्न हो चुका है एवं हाल ही में डॉक्टर्स की हड़ताल के दौरान भी चिकित्सा व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रशासकीय दृष्टिकोण से चिकित्सकों के किए गए स्थानांतरण को भी चिकित्सकों द्वारा बेवजह मुद्दा बनाया जा कर हड़ताल की योजना बनाई जा रही है। अतः समझाइश करना उचित एवं आवश्यक	

	समझते हुए हमराही जाप्ता के साथ उक्त चिकित्सक के निवास पर पहुंचे। डॉक्टर कप्तान सिंह मोबाइल पर जोर-जोर से बातें करते दिखाई दिया, जिनको थानाधिकारी ने समझाया कि इस तरह के कार्य व्यवहार से आमजन में मरीजों के जीवन को गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है आप इस तरह हड़ताल कर चिकित्सा व्यवस्था ठप करने की योजना नहीं बनाएं और ना ही इस में सम्मिलित होने ना ऐसी किसी भी कार्य के लिए किसी अन्य चिकित्सक को दुष्प्रेरित करें लेकिन चिकित्सक कप्तान सिंह द्वारा बार-बार इसी बात को दोहराते रहे कि हमने जो ठान लिया है उसको करके ही रहेंगे एवं सारी व्यवस्था ठप करेंगे। डॉक्टर कप्तान सिंह द्वारा जोर-जोर से बोला जा रहा था कि अभी हम दो-चार डॉक्टरों को एकत्रित कर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को ठप कर देंगे। बावजूद समझाइश उक्त डाक्टर द्वारा यही धमकी दी जा रही थी। उनका यह कृत्य अंतर्गत धारा 151 जा. फौ. की श्रेणी में आता है। जिस पर डॉक्टर कप्तान सिंह पुत्र हरभान सिंह उम्र 37 साल जाति जाट निवासी काली माई की बगीची के पास भरतपुर को गिरफ्तार किया गया। चिकित्सक द्वारा पद पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया गया। थाना अधिकारी द्वारा इस्तगासा अंतर्गत धारा 107, 116 (3), 151 सीआरपीसी पेश कर निवेदन किया कि गैर सायल को भारी जमानत मुचलका से पाबंद फरमाने की कृपा करें। प्रकरण में इस्तगासा का अध्ययन किया गया गैर सायल की ओर से श्री ताराचंद शर्मा एडवोकेट श्री मोहन स्वरूप शर्मा एडवोकेट एवं श्री भूपेंद्र शर्मा एडवोकेट भरतपुर उपस्थित हुए। दोनों पक्षों को सुना गया। डॉक्टर कप्तान सिंह के बयान लिखे जाकर शामिल पत्रावली किए गए। धारा 107 CRPC के अनुसार :- 107 - Security for keeping the peace in other cases - (1) When an Executive Magistrate receives information that any person is likely to commit a breach of the	

peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquility and is of opinion that there is sufficient ground for preceding, he may, in the manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with or without sureties for keeping the peace for such period, not exceeding one year, as the Magistrate thinks fit-

(2) proceedings under this section may be taken before any Executive Magistrate when either the place where the breach of the peace or disturbance is apprehended is within his local jurisdiction or there is within such jurisdiction a person who is likely to commit a breach of the peace for disturb the public tranquility or to do any wrongful act as aforesaid beyond such jurisdiction-

धारा 116 (3) CRPC के अनुसार

(3) After the commencement, and before the completion, of the enquiry under subsection (1), the magistrate, if he considers that immediate measures are necessary for the prevention of a breach of the peace or disturbance of the public tranquility or the commission of any offence or for the public safety, may for reasons to be recorded in writing, direct the person in respect of Whom the order under Section 111 has been made to execute a bond, with or without sureties, for keeping the peace or maintaining good behaviour until the conclusion of the enquiry, and may detain him in custody until such bond is executed or, in default of execution, until the enquiry is concluded :

Provided that :-

(a) no person against whom proceedings are not being taken under section 108, section 109, or section 110 shall be directed to execute a bond for maintaining good behaviour.

(b) the conditions of such bond, whether as to amount there of or as to the provision of sureties or the number thereof or the pecuniary extend of their liability, shall not be more concurs than those specified in the order under section 111.

धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का प्रावधान है।

प्रकरण में भली-भांति विचार करने के उपरांत मैं थाना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों से सहमत हूं और डॉक्टर कप्तान सिंह को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116 (3) के प्रकाश में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखे जाने के लिए नियंत्रित कराया जाना अति आवश्यक है।

	डॉक्टर कप्तान सिंह के बयान लिए गए जिसके अनुसार डॉक्टर कप्तान सिंह द्वारा अपनी मेडिकल की पढ़ाई राजकीय मेडिकल कॉलेज से की गई है। उन्होंने अपने बयानों में यह भी अवगत कराया है कि दिनांक 6 नवंबर, 2017 से 12 नवंबर, 2017 तक हड़ताल की अवधि के दौरान वह हड़ताल में शामिल रहे हैं। बयानों में स्वयं ने यह भी अवगत कराया है कि मैं मरीजों को भगवान भरोसे छोड़कर हड़ताल पर जाने के पक्ष में नहीं हूं। यद्यपि अपने बयानों में यह कहा कि भविष्य में होने वाली हड़ताल में मैं शामिल नहीं होना चाहता हूं। किंतु अपने बयानों में हड़ताल में शामिल होने की स्वीकारोक्ति से थाना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की पुष्टि होती है। राज्य सरकार द्वारा इनको चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने में अत्यधिक धनराशि खर्च की जाती है। उक्त धनराशि जनता पर खर्च किए जाने वाले पैसों में कटौती करके यह सोचकर चिकित्सा शिक्षा पर खर्च की जाती है कि उक्त शिक्षा के उपरांत तैयार होने वाले चिकित्सक मरीजों (आमजन) की सेवा करेंगे। थाना अधिकारी द्वारा पेश किए गए इस्तगासे के उपरांत प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से दूरभाष पर जानकारी ली गई कि प्रतिदिन अस्पताल का आउटडोर कितना है उनके द्वारा दूरभाष पर ही अवगत कराया गया कि प्रतिदिन जनाना अस्पताल और आरबीएम अस्पताल का लगभग 2000 का आउटडोर है अर्थात प्रतिदिन 2000 मरीज इलाज के लिए आते हैं यदि हड़ताल को बढ़ावा मिलता है तो अस्पताल के समस्त चिकित्सक भी हड़ताल पर जा सकते हैं। बल्कि गत हड़ताल अवधि के दौरान गए भी हैं यदि बार-बार हड़ताल होने की स्थिति आती है तो इतनी संख्या में मरीज सड़क पर आ सकते हैं और उनके परिजनों सहित मरीजों के सड़क पर आने से निश्चित रूप से शांति भंग हो सकती है कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार विधायिका कानून बनाती है कार्यपालिका लागू करती है एवं न्यायपालिका द्वारा कानून की पालना कराए जाने हेतु परीक्षण किया	

	जाता है तथा नजर रखी जाती है। राज्य सरकार द्वारा चिकित्सकों के संबंध में विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के तहत समस्त परिलाभ सुनिश्चित किए जाते हैं। समस्त चिकित्सकों द्वारा संघ बनाकर समस्त मरीजों को भगवान भरोसे छोड कर इकट्ठे होकर सरकार पर दबाव बनाकर विधानसभा के बाहर अधिक परिलाभ दिए जाने हेतु कानून बनवाने का प्रयास संविधान विरोधी तो है ही, बल्कि बार-बार ऐसे प्रयास से जनता द्वारा परेशान होकर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की स्थिति उत्पन्न होने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मैं यह उचित समझता हूं कि डॉक्टर कप्तान सिंह को अपने पेशे के प्रति नियंत्रित किया जाना आवश्यक है ताकि वह राज्य सरकार के नियमों की पूर्णतया पालना करते हुए जनता को अपनी सेवा प्रदान करें, हडताल के लिए किसी को उकसायें नहीं व स्वयं हडताल में शामिल नहीं हो बल्कि राजकीय सेवा में अपने कर्तव्यों का इस प्रकार पालन करें कि आमजन में आक्रोश उत्पन्न नहीं हो एवं शांति भंग नहीं हो। उपरोक्त पालना आगामी 1 वर्ष तक के लिए डॉक्टर कप्तान सिंह से करवाई जाने के कारण उन्हें जमानती द्वारा नियंत्रित करवाया जाना आवश्यक है। मैं यह उचित समझता हूं कि श्री कप्तान सिंह द्वारा कुल 7 जमानती पेश किए जाएं जिनमें से 2 राजकीय कर्मचारी 50 पचास हजार की जमानत प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर कप्तान सिंह द्वारा स्वयं का 50 हजार का मुचलका भी पेश किया जावे एवं पांच जमानती 20-20 लाख की पांच जमानत प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक जमानती द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के साथ डीएलसी दर की प्रति के साथ संपत्ति का मूल्यांकन सब रजिस्ट्रार से प्रमाणित करवाया जाकर प्रस्तुत करना होगा। डॉक्टर कप्तान सिंह को निर्णय सुनाया गया। डॉक्टर कप्तान सिंह द्वारा उपरोक्त अनुसार जमानत प्रस्तुत नहीं करने पर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने का निर्णय किया जाता है। पत्रावली दिनांक 22 दिसंबर 2017 को प्रस्तुत हो। अति. जिला मजिस्ट्रेट (शहर) भरतपुर	

चूंकि डॉ. कप्तानसिंह अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर के आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 के बाद स्वयं के जमानत-मुचलके प्रस्तुत नहीं कर पाये, इस कारण से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया।

डॉ. कप्तानसिंह द्वारा उपर्युक्त आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 को सेशन न्यायाधीश, भरतपुर के न्यायालय में आपराधिक निगरानी याचिका संख्या 327/2017 द्वारा चुनौती गई। माननीय सत्र न्यायालय, भरतपुर द्वारा अन्तरिम आदेश दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 में टिप्पणी की गई कि :-

> "**तथ्यों और परिस्थितियों में प्रथम** दृष्ट्या **ही प्रकट है कि बिना कोई जांच किए एवं बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये आक्षेपित आदेश के** द्वारा **इतनी कठोर शर्तें अंतरिम जमानत हेतु अधिरोपित कर दी गई है जिनकी तत्काल पालना करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो प्रकट होता है की मात्र निगरानीकर्ता को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने हेतु ही इस प्रकार की कठोर शर्तें अंतरिम जमानत हेतु लगाई गई है और पूर्ति नहीं होने पर निगरानीकर्ता को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अधिक विवेचन इस प्रक्रम पर उचित नहीं है।**"

माननीय सत्र न्यायालय, भरतपुर ने परिवादी डॉ. कप्तानसिंह द्वारा राशि रूपये 01.00 लाख की जमानत व इसी राशि का बन्धपत्र प्रस्तुत किये जाने पर डॉ. कप्तानसिंह को तत्काल रिहा करने के आदेश कर दिये।

प्रतीत होता है कि माननीय सत्र न्यायाधीश, भरतपुर के आदेश की पालना में दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को परिवादी डॉ. कप्तानसिंह को रिहा किया गया।

डॉ. कप्तानसिंह के समान ही दो और डॉक्टर्स को समान प्रकार से धारा 107, 116 (3), 151 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में गिरफ्तार किया गया था। माननीय सत्र न्यायालय, भरतपुर के समक्ष डॉ. कप्तानसिंह द्वारा दाण्डिक निगरानी याचिका संख्या 327/2017 तथा अन्य डॉक्टर श्री मनीष गोयल द्वारा दाण्डिक निगरानी याचिका संख्या 328/2017 एवं डॉक्टर मुकेश कुमार वशिष्ठ द्वारा दाण्डिक निगरानी याचिका संख्या 329/2017 समान प्रावधान में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। दाण्डिक निगरानी याचिका संख्या 327/2017, 328/2017 एवं 329/2017 द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर के आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 को चुनौती देने पर माननीय सत्र न्यायालय, भरतपुर द्वारा उक्त तीनों निगरानी याचिकाएं स्वीकार कर पूर्व में अन्तरिम आदेश से डॉक्टर्स को रिहा किया गया व बाद में विस्तृत आदेश दिनांक 31 मई, 2018 से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर के आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 को अपास्त कर दिया गया।

आयोग द्वारा इस प्रकरण में प्रसंज्ञान लेते समय मात्र डॉ. कप्तानसिंह से सम्बन्धित घटनाओं के तथ्यों के आधार पर आदेश दिनांक 03 जनवरी,

2018 से प्रसंज्ञान लिया गया था, परन्तु माननीय सत्र न्यायालय, भरतपुर के उपर्युक्त विस्तृत आदेश दिनांक 31 मई, 2018 से यह प्रमाणित है कि डॉ. कप्तानसिंह के समान ही डॉ. मनीष गोयल तथा डॉ. मुकेश कुमार वशिष्ठ को धारा 107, 116 (3) व 151 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत हिरासत में किया गया। अतः आयोग इन डॉक्टर्स के अनुतोष के लिए भी यह आदेश पारित कर रहा है।

जिला कलक्टर, भरतपुर को डॉ. कप्तान सिंह के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा, धारा 107, 116 (3) भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 सम्बन्धी तमाम दस्तावेजात् व बयानों की प्रतिलिपि आयोग को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा उपर्युक्त इस्तगासा की प्रतिलिपि, डॉ. कप्तान सिंह की फर्द गिरफ्तारी, रोजनामचा आम विवरण, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर द्वारा डॉ. कप्तान सिंह के लिये गये बयान की प्रतिलिपि तथा आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 की प्रतिलिपि आयोग को उपलब्ध कराई गई।

डॉ. कप्तान सिंह द्वारा मेल दिनांक 10 फरवरी, 2018 से अपना संक्षिप्त पक्ष व सम्बन्धित दस्तावेजात् की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई।

डॉ. कप्तान सिंह की ओर से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली में शिकायत प्रस्तुत करने पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रकरण संख्या 171/20/8/2018/OC/M-2 दर्ज किया जाकर निस्तारण करने हेतु राज्य आयोग को पत्र दिनांक 12 फरवरी, 2018 से प्रेषित किया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त धारा 107, 116 (3) भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में डॉ. कप्तान सिंह, चि.अ., आर.बी.एम. अस्पताल, भरतपुर व अन्य 04 डॉक्टर्स, (1) डॉ. रामविलास गुर्जर, व.वि. सर्जरी, सामान्य चिकित्सालय, धौलपुर, (2) डॉ. मनीष गोयल, चि.अ. आर. बी.एम. अस्पताल, भरतपुर, (3) डॉ. मुकेश कुमार, चि.अ. सैटेलाइट अस्पताल अटलबन्द, भरतपुर व (4) डॉ. पवन सैनी, चि.अ., राजकीय चिकित्सालय, श्री गंगानगर, को डॉक्टर्स की हडताल के दौरान क्रमशः दिनांक 15.12.2017 से 17.12.2017, 15.12.2017 से 17.12. 2017, 16.12.2017 से 18.12.2017, 15.12.2017 से 17.12. 2017 व 12.12.2017 से 18.12.2017 तक, अर्थात् 48 घण्टे से अधिक हिरासत में रहने के कारण से सी.सी.ए. नियम-1958 के नियम 13 (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30 अप्रैल, 2018 से निलम्बित भी किया गया। परन्तु आयोग के समक्ष तीन प्रकरणों, (1) डॉ. कप्तानसिंह (2) डॉ. मनीष गोयल व (3) डॉ. मुकेश कुमार वशिष्ठ के तथ्य सत्र न्यायालय, भरतपुर के निर्णय में उपलब्ध हैं। अतः अन्य दो डॉक्टर्स के प्रकरणों के तथ्य नहीं होने से उन दो प्रकरण में यह आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

धारा 107,116 (3) व 151 दं.प्र.सं. का भारत में आपातकाल (emergency) के समय भरपूर दुरूपयोग किया गया और मानव अधिकारों का लगातार हनन किया गया। एक-एक राज्य में हजारों व्यक्तियों पर इन धाराओं का दुरूपयोग कर जेलों में डाला गया और

मानव अधिकारों का गम्भीर हनन किया गया। आपालकाल के समय में भी लगभग ऐसे सभी प्रकरणों में, ऐसे मानव अधिकारों का हनन करने वाले आदेशों को यथाशीघ्र आपास्त किया गया। उक्त काल भारत के इतिहास का एक विशिष्ट काल था और उस काल में हुई गलतियों से कई शिक्षाऐं भी प्राप्त हुई, परन्तु इन प्रकरणों के तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रशासन एवं राज्य किसी प्रकार की गलती को सुधारना तो दूर, सुधार करने के विषय पर विचार करने को भी तैयार नहीं है।

इस प्रकरण के कुछ तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं जो इन तीन डॉक्टर्स के प्रकरणों के अविवादित तथ्य हैं तथा माननीय न्यायालय के निर्णय से अन्तिम रूप से निर्णित भी हैं। इनसे स्पष्ट है कि धारा 107, 116 (3) व 151 दं.प्र.सं. के प्रावधान मानव अधिकारों के हनन के लिये कई दशकों से काम में लिये जाने के पश्चात भी राज्य सरकार इस प्रकार से मानव अधिकारों के हनन करने के न्यायिक अधिकार पुलिस को ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी दिये गये हैं, जिनसे आम जनता की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। राज्य सरकार ऐसे मानव अधिकारों के हनन को जारी रखना चाहती है और विशेष बात यह है कि ऐसे मानव अधिकार हनन क्यों जारी रहने चाहिये, इसके संबंध में एक भी तर्क राज्य सरकार के पास में नहीं है।

उपर्युक्त तीन डॉक्टर्स के प्रकरण में माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा तथ्यों पर विचार कर ये निष्कर्ष दिये है :-

1. संबंधित थाना पुलिस द्वारा इन चिकित्सकों को घर से बाहर लाया गया और पुलिसकर्मियों के अनुसार, पुलिसकर्मियों द्वारा इन चिकित्सकों को आगाह किया गया कि आप पहले भी हडताल कर चुके है और अब भी आप लोगों ने हडताल की घोषणा की है, इस पर उक्त चिकित्सक आवेश में आ गये और जोर-जोर से बोलने लगे और मात्र जोर-जोर से बोलने की शांति भंग की इस आशंका मात्र से चिकित्सकों को गिरफ्तार कर लिया गया।

2. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर की पत्रावली से यह प्रमाणित है कि थानाधिकारी राजकीय चिकित्सक के घर रात को 12 बजें पहुंचे और डॉक्टर को घर से बाहर ले आये। माननीय सत्र न्यायाधीश की टिप्पणी है कि, क्या घर के अन्दर सोया हुआ व्यक्ति, जो सरकारी डॉक्टर है, वह घर के अन्दर से शांति भंग करेगा।

3. माननीय न्यायालय द्वारा यह भी अंकित किया गया कि, ये सभी राजकीय चिकित्सक हैं और लोकसेवक हैं जिनके फरार होने का कोई अंदेशा नहीं था, तब उन्हें सामान्य जमानत-मुचलके के बजाय एक करोड़ रूपये की जमानत पेश करने का आदेश, बिना मस्तिक का उपयोग किये व बिना जांच किये पारित आदेश है।

4. माननीय सत्र न्यायाधीश के निर्णय अनुसार जमानत की इन शर्तों की पूर्ति किया जाना सम्भव ही नहीं था।

5. माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष दिया गया है कि, इसका एक मात्र उद्देश्य निगरानीकर्ताओं को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का रहा है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को हनन करने का यह स्पष्ट उदाहरण है।

6. माननीय सत्र न्यायालय की यह टिप्पणी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि, इससे पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं हो रहा है, न निगरानी कर्ता आंतकवादी या डकैत है, न कोई हिस्ट्रीशीटर है, बल्कि राजकीय सेवा में एक जिम्मेदार पद पर है, इसके बावजूद भी बिना विधि की प्रक्रिया की पालना किये ऐसे कठोर आदेश देना और पालना न होने पर न्यायिक अभिरक्षा में भेज देना उनका आशय प्रकट करता है।

7. माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा न्यायिक दृष्टान्त अरूरसिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 1984 सी.आर.एल.जे. 1616, माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय मधु लिमये बनाम वेदमूर्ति ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 2481 जैसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों व इसके अलावा अन्य कई निर्णयों तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों पर विचार कर यह निर्णय दिया कि, गिरफ्तारी की शक्ति होना पृथक बात है और न्यायिक रूप से गिरफ्तारी उचित है, यह पृथक तथ्य है। किसी को गिरफ्तार करने पर ऐसी गिरफ्तारी न्यायोचित होनी चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति को

गिरफ्तार करने से उस व्यक्ति की प्रतिष्ठ व गरिमा पर आघात पहुंचता है।

8. माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर द्वारा पारित किया गया आक्षेपित आदेश विधि और तथ्यों के अनुकुल नहीं है, बल्कि इस्तगासा पेश करने की कार्यवाही और पारित किया गया आक्षेपित आदेश, दोनों ही, विधिक प्रावधानों के बिलकुल विपरीत और निगरानीकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आघात करने वाले प्रकट हुए हैं।

इस प्रकार से ऊपर वर्णित डॉक्टर्स के मानव अधिकारों का हनन करने की नियत से दुर्भावनापूर्वक माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्णयों के विरुद्ध, इन डॉक्टर्स के मानवाधिकारों का हनन करने के लिये व डॉक्टर्स की स्वतंत्रता छीनने के लिये धारा 107, 116(3) व 151 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का दुरूपयोग किया गया है। आयोग यहां पर उल्लेखित करना चाहेगा कि, इस प्रकार के कृत्यों से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए दी गई गारन्टी तथा अनुच्छेद 21 में प्रदान की गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने के निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिये, धारा 107, 116(3) व 151 द.प्र.सं. के प्रावधानों का दुरूपयोग किया गया है।

विधिक प्रावधानों के दुरूपयोग के दोषी प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करना एक तरफ है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा मानव अधिकार हनन का समर्थन किया जा रहा है, यह अत्यन्त खेदजनक है और ऐसे मानव अधिकार हनन होते रहने की पूरी अनुमति राज्य सरकार द्वारा जारी रखने का निर्णय लिया जाना और भी ज्यादा कष्टप्रद है। यहां पर राज्य सरकार द्वारा आयोग में प्रस्तुत किये गये पत्र दिनांक 07 जून, 2018 के उस भाग का उल्लेख किया जा रहा है जिसमें राज्य सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि राज्य सरकार की जानकारी में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित है कि :-

> **"Bail is the Rule and Jail is the Exception Generally grant is to be considered because it is in furtherance of liberty of the individual guaranteed under article 21, Constitution of India. However in certain circumstances such as seriousness of the offence alleged, habituality in criminality tendency of abscondence etc., bail will be refused. "**

इस विधि की स्थिति व आपातकाल के पूर्व व आपातकाल के पश्चात लगातार धारा 107, 116 (3), 151 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों से पुलिस, प्रशासन व सरकार द्वारा मानव अधिकार हनन के तथ्यों को स्वीकार करने के पश्चात भी, राज्य सरकार का कुल जवाब यह है :-

"जमानत राशि युक्ति-युक्त होनी चाहिए ताकि जमानत राशि पेश की जा सके। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जमानत स्वीकार किए जाने के वक्त युक्ति-युक्त राशि के जमानत मुचलके मांगने चाहिए। राज्य सरकार दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन का विचार नहीं रखती है। "

राज्य सरकार को आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था कि, राज्य आयोग भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 107, 116 (3), 151 इत्यादि के प्रावधानों से होने वाले मानव अधिकारों के हनन के प्रकरणों पर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (डी) के तहत विचार कर इन प्रावधानों में संशोधन की अनुशंषा करने का विचार रखता है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा विषय के अनुसन्धान (Research) में सहयोग करने के स्थान पर आयोग के आदेश दिनांक 03 जनवरी, 2018 को अंकित कर स्वयं के जवाब को विस्तृत बनाने की चेष्टा की गई है, अन्यथा राज्य सरकार द्वारा न तो तथ्यों पर अपना पक्ष रखा गया, न माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि की व्यवस्था पर एक भी शब्द अंकित किया गया है और यह भी स्वीकार किया गया है कि, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पूरी तरह से गलत आदेश पारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आयोग के अनुसन्धान (Research) में सहयोग देने के स्थान पर पूर्णतया स्वेच्छाचारिता व निरंकुश निर्णय से आयोग को अवगत कराया गया कि,

<u>राज्य सरकार भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन का विचार नहीं रखती है।</u>

अर्थात् राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत पत्र से राज्य आयोग के समक्ष मात्र यह निष्कर्ष लिये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है कि, धारा 107, 116 (3) व 151 दं.प्र.सं. के प्रावधानों पर कई दशकों से, जब चाहे तब, दुरूपयोग कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 व 21 का उल्लंघन करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध व्यक्ति की अभिव्यक्ति व स्वतन्त्रता का हनन किया जाता है, तब राज्य सरकार इस हनन को रोकने में, बिना किसी कारण बताये व बिना किसी आधार के अंग्रेजों के जमाने में जन आंदोलन को कुचलने के लिए बनाये गये कानून को जारी रखना चाहती है, ताकि हर समय, हर सत्ता व हर सरकार ही नहीं, बल्कि राज्य की पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी बिना किसी रोक व बिना किसी हिचक के स्वयं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानव अधिकारों का हनन कर सके।

चूंकि इस प्रकरण में ये तथ्ये प्रकट हैं कि तीनों डॉक्टर्स जो राजकीय सेवा में थे, जो आतंककारी अथवा दुर्दांत अपराधी होना तो दूर उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तक नहीं पाया गया और जिन डॉक्टर्स के फरार होने का कोई अंदेशा नहीं था, जो क्षेत्र के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं, आयोग में प्रस्तुत विडियो (डॉ. कप्तानसिंह) से स्पष्ट है तथा जिन डॉक्टर्स को पुलिस

द्वारा हिरासत में लेते समय कोई प्रतिरोध तक नहीं किया जाना प्रतीत हो रहा है, ऐसे डॉक्टर्स को रात को 11 व 12 बजे गिरफ्तार करना, गिरफ्तार कर जमानत पर नहीं किये जाने हेतु असम्भव शर्तो का जमानत आदेश पारित करवाना और इन गिरफ्तारियों के पश्चात इन डॉक्टर्स को गिरफ्तारी के आधार पर निलम्बित करना राज्य सरकार की दुर्भावना का प्रमाण है। **अतः प्रत्येक डॉक्टर को जो तीन दिन हिरासत में रहे हैं, उन तीनों डॉक्टर्स को एक-एक लाख प्रतिदिन, अर्थात् राशि रूपये 03.00 लाख प्रति डॉक्टर (कुल राशि रूपये 09.00 लाख) राज्य सरकार से हर्जाना दिलाये जाने की अनुशंषा की जाती है।**

डॉक्टर्स को दिलाये जाने वाली उपर्युक्त हर्जाना राशि राज्य सरकार पर आरोपित की गई है। अतः इस राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। यह भुगतान राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी विभागीय कार्यवाही पर निर्भर नहीं रहेगा।

ये हर्जाने की राशि फिलहाल मात्र मानव अधिकार हनन के कारण से प्रतीकात्मक (symbolic) मात्र है, जो न तो डॉक्टर्स मानहानि के लिए दिलाई जा रही है और न ही इन डाक्टर्स की जो वास्तविक हानि हुई है उसकी पूर्ति के लिए हर्जाना है। डॉक्टर्स अन्य हर्जाना प्राप्त करने के लिए विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र रहेंगे।

माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर के विरूद्ध पद के दुपयोग करने व जानबूझ कर मानवाधिकार हनन

करने के गम्भीर प्रकरण में राज्य सरकार अपने स्तर पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने के लिए भी दोषी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 व 21 की अवहेलना में अभिव्यक्ति की स्वीकृति व व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त करने वाले पुलिसकर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई, राज्य सरकार द्वारा इसका भी कोई कारण अंकित नहीं किया गया है।

न्यायिक निर्णय में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर के विरूद्ध की गई टिप्पणियों के आधार पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के विरूद्ध तत्काल विभागीय कार्यवाही की जावे, ताकि भविष्य में प्रशासन/सरकार से ऊपर कानून को मान्यता देने का संदेश तमाम कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स तक पहुंच सके।

इन डाक्टर्स के विरूद्ध गैर कानूनी रूप से धारा 107, 116 (3) व 151 दं.प्र.सं. के प्रकरण दर्ज कर बिना किसी साक्ष्य के मात्र उच्च अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशों के आधार पर कानून का दुरूपयोग करने और व्यक्तियों के मानव अधिकारों का हनन करने के कारण से इस कार्यवाही के प्रभारी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी विभागीय कार्यवाही की जावे ताकि भविष्य में भी उच्चाधिकारियों के आदेशों से ऊपर, अपने आप को कानून का रक्षक साबित करने की सीख दी जा सके। इन पुलिस अधिकारियों द्वारा उच्चाधिकारियों और प्रशासन के आदेशों

की पालना में गैर कानूनी कार्यवाही की गई है यह तथ्य इस्तगासे से ही प्रमाणित है।

प्रकरण संख्या 529/17 की सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध कराई गई है। सम्पूर्ण पत्रावली से स्पष्ट है कि धारा 107, 116 (3) व 151 दं.प्र. सं. के तहत की गई सम्पूर्ण कार्यवाही एक दिखावा/छलावा (colorable exercise of power व abuse of law) है। मात्र ये प्रकरण ही नहीं, ऐसे अन्य कई प्रकरणों में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की उपर्युक्त धाराओं के दुरूपयोग के मामले आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन नहीं करने के सुझाव को खारिज किया जाता है तथा राज्य सरकार से अनुशंषा की जाती है कि, **बिना किसी देरी, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 107, 116 (3), 111, 151 व जिन किन्हीं भी प्रावधानों में, जो भी आवश्यक हो, राज्य स्तरीय संशोधन किये जा सकते हों, तुरन्त युक्तियुक्त संशोधन कर मानव अधिकारों की रक्षा की जावे।** आयोग यहां स्पष्ट करना चाहेगा कि आयोग किसी सरकारी आदेश अथवा परिपत्र जारी करने की अनुशंषा नहीं कर रहा है, क्योंकि आयोग के समक्ष आपराधिक प्रकरणों में जारी किये गये सरकारी परिपत्रों/आदेशों व निर्देशों को लगातार अनेकों प्रकरणों में नहीं माने जाने के उदाहरण प्रमाणिक रूप से उपलब्ध हैं। पुलिस अथवा प्रशासन के लिए मात्र प्रशासनिक आदेश से इस प्रकार के मानव अधिकार हनन को रोका जाना सम्भव नहीं है। अतः विधि में संशोधन किये जाने की ही अनुशंषा की जाती है।

यहां विशेष रूप से यह भी उल्लेखनीय है कि, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम सन् 1993 में, अर्थात् 26 वर्ष पूर्व बनाया गया है तथा अधिनियम, 1993 की धारा 30 के अन्तर्गत देश में, अर्थात् राजस्थान राज्य में भी मानव अधिकार न्यायालय स्थापित करना, राज्य की जिम्मेदारी नियत की गई। राजस्थान राज्य में राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.2(1)/न्याय/2009, दिनांक 15 अप्रैल, 2013 से अधिनियम, 1993 की धारा 30 के तहत "मानव अधिकार हनन" के सम्बन्ध में दर्ज प्रकरणों में विचारण हेतु जिला एवं सत्र न्यायालय, जयपुर (जिला) तथा जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर (जिला) को क्रमशः जयपुर व जोधपुर जिले की स्थानीय सीमाओं के लिए तथा अन्य शेष समस्त जिलों के समस्त जिला एवं सत्र न्यायालयों को अपनी-अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के लिए मानव अधिकार न्यायालय घोषित किया गया है। यहां अत्यन्त खेदजनक स्थिति यह है कि 26 वर्ष पूर्व के अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत 20 वर्ष पश्चात मानव अधिकार न्यायालय स्थापित करने की घोषणा के बाद भी यह तक निर्धारित नहीं है कि मानव अधिकार हनन के ऐसे कौनसे प्रकरण होंगे जिनमें राज्य के विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण किया जायेगा।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.8(1)/राज.(1)/09 दिनांक 05 मार्च, 2014 द्वारा इन समस्त न्यायालयों के लिए मानव अधिकार हनन के विशेष अभियोगों की पैरवी हेतु 33 विशिष्ट लोक अभियोजकों की

नियुक्ति भी कर दी गई। जैसा कि ऊपर अंकित किया गया है कि राज्य में विशेष न्यायालय भी गत 06 वर्ष से हैं और मानव अधिकार हनन के सैशन्स न्यायाधीशों द्वारा विचारण करने में सहयोग करने के लिए राज्य में 33 विशिष्ट लोक अभियोजकों के होते हुए सरकारी सेवाओं में सेवारत डॉक्टर्स के मानव अधिकार हनन के अभियोग आरोपियों के विरूद्ध दर्ज नहीं कराये जा सकते हैं, क्योंकि अधिनियम, 1993 के 26 वर्ष पश्चात तथा राज्य में विशेष न्यायालयों की स्थापना के 06 वर्ष बाद भी मानव अधिकार हनन के अभियोग चिह्नित नहीं हैं। **यह अत्यन्त खेदजनक स्थिति है जो राजस्थान सरकार के लिए ही नहीं, बल्कि केन्द्र सरकार की जानकारी में भी राज्य सरकार द्वारा लाई जानी चाहिए तथा तत्काल मानव अधिकार हनन के प्रकरणों को चिह्नित किया जाना चाहिए जिससे कि ऐसे अभियोगों में धारा 30, अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित विशिष्ट न्यायालयों द्वारा विचारण किया जा सके।**

प्रकरण इन अनुशंषाओं के साथ समाप्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष

जवाब मांगते सवाल?

- आखिर क्यूँ पुलिस प्रशासन/राज्य सरकार के स्तर पर सीआरपीसी की धाराओ 107/151 और 116(3) मे दर्ज मामलों की मॉनिटरिंग नहीं की जाती?
- आखिर क्यूँ सीआरपीसी की धाराओ 107/151 और 116(3) मे दर्ज मामलों को सीसीटीएनएस की वेब साइट पर दर्ज नहीं किए जाते?
- आखिर क्यूँ इन धाराओं मे शांति भंग करने वाले व्यक्तियों की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करवाई जाती?
- अधिकांश मामलों मे देखा गया है कि एक या दो व्यक्तियों के थाने मे आने पर,शांति भंग करने या संज्ञेय अपराध कर गुजरने के अंदेशे से इन धाराओं मे बंद कर दिया जाता है,सवाल यह उठता है कि क्या एक आम आदमी जिसका कोई आपराधिक रेकॉर्ड नहीं हो,क्या वह थाने आकर,वहाँ पुलिस कर्मियों की मौजूदगी मे शांति भंग करने या संज्ञेय अपराध करने का साहस कर सकता है?
- आखिर क्यूँ ऐसे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज कर,कार्यवाही नहीं की जाती?
- आखिर क्यूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद थानो मे सीसीटीवी केमरे नहीं लगवाए जा रहे?और जिन थानो मे सीसीटीवी लगे है,वह भी सुचारु रूप से चालू क्यूँ नहीं है?
- ऐसे मामलों मे जमानत मांगने के किया नियम है?
- आखिर क्यूँ राजस्थान पुलिस मे बनी मानवाधिकार सेल ऐसे मामलों की जांच नहीं करती?
- आखिर क्यूँ मानवाधिकार मामलों मे विशेष न्यायालयों की स्थापना के 08 वर्ष बाद भी मानवाधिकार हनन के अभियोग चिन्हित नहीं किए गए है?
- आखिर क्यूँ राजस्थान मानवाधिकार आयोग द्वारा विधि मे संशोधन किए जाने की अनुशंसा करने के बावजूद आज दिन तक सीआरपीसी की धाराओ 107/151 और 116(3) मे संशोधन नहीं किए गए है?

यदि आप या आपके निकटतम परिजन,मित्र भी सीआरपीसी की धाराओ 107/151 और 116(3) मे बेवजह फंसाए गए है तो आप अपनी व्यथा हमे बता सकते है,जिन्हे हमारे अगले अंको मे प्रकाशित किया जाएगा|

जवाब दो सरकार

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012

मोबाइल:-9828346151